

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-3/मेट/2015

जयपुर, दिनांक 9 JAN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
अजमेर के अतिरिक्त समस्त राजस्थान।

विषय :- ब्लैक लिस्ट व भ्रष्ट आचरण वाले मेटों को नियमित कार्य पर  
नियोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर सूचनायें प्राप्त हो रही है कि विकास अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ब्लैक लिस्ट किये गये मेटों को पुनः कार्य पर नियोजन किया जा रहा है जबकि तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दू संख्या 16.14.2 में निम्नानुसार अंकित है:- "किसी भी मेट द्वारा वित्तीय अनियमितता करने अथवा प्रयास करने, फर्जी उपस्थिति अंकित करने, कार्यस्थल के प्रति तथ्य छिपाने जैसे गंभीर मामलों में मेट को ब्लैक लिस्टेड किया जावे। वित्तीय अनियमितता होने की स्थिति में मेट के विरुद्ध ग्राम सेवक द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जावे। ब्लैक लिस्टेड मेट को भविष्य में कभी भी कार्यों पर मेट नियोजित नहीं किया जावे।"

इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले में यदि किसी पंचायत समिति में ब्लैक लिस्ट किये गये मेटों का पुनः नियोजन किया गया है तो ऐसे विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे तथा समस्त को निर्देशित किया जावे कि भविष्य में ब्लैक लिस्ट किये गये मेटों को कार्यों पर पुनः नियोजित नहीं किया जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त

(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के अतिरिक्त समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस